सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04 के अन्तर्गत

(ख) लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्व घोषणाएं (17 बिन्दु)

1. अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्यः–

महाविद्यालय का नामः– सेठ नन्द किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना ।
पता :– कोटपूतली रोड़, नीमकाथाना, सीकर (राज.)
पिन कोड़ :– 332713, दूरभाष नं.:– 01574230063
महाविद्यालय की स्थापना :– सन् 1966, यूजीसी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा **12(बी)** में मान्यता और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद **(NAAC)** द्वारा बी ग्रेड प्राप्त (सितम्बर–2019 तक) ।
अध्यापन का स्तर – स्नातक एवं स्नातकोत्तर
संचालित संकाय – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान

संचालित विषयः–

कला संकाय(स्नातक)– अंग्रजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र
कला संकाय(स्नातकोत्तर)– हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास
विज्ञान संकाय(स्नातक)– रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ शास्त्र।
विज्ञान संकाय(स्नातकोत्तर)– रसायन शास्त्र।
वाणिज्य संकाय (स्नातक)– ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., बी.ए.डी.एम.।
वाणिज्य संकाय (स्नातकोत्तर) – ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., बी.ए.डी.एम.।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, खेलकूद भारत स्काउट एवं गाईड, एन.सी.सी., योजना मंच, युवा विकास केन्द्र , महिला उत्पीड़न निवारण समिति, कैरियर गाईडेन्स एम्पलॉयमेन्ट एन्ड प्लेसमेन्ट समिति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र की गतिविधियां संचालित है। महाविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय एवं वाचनालय एवं परिसर मे महाविद्यालय की छात्राओं हेतु महिला छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

कृत्य एवं कर्तव्यः–

सत्रारम्भ में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी नियमावली के अनुसार महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश देना, पाठ्यक्रमानुसार अध्यापन कार्य करवाना, सत्र पर्यन्त विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख अध्ययन व व्यक्तित्व विकास हेतु प्रोत्साहित करना, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, एन.एस.एस. के माध्यम से राष्ट्र सेवा हेतु प्रोत्साहित करना,

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं को सम्पन्न करवाना एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा निर्देशित अन्य समस्त कार्यों को सम्पन्न करवाना।

2. **अपने अधिकारियों एवम कर्मचारियों की शक्तियां एवम कर्तव्यः—**

प्राचार्य— महाविद्यालय का सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य, महाविद्यालय में शिक्षण का अनुकूल वातावरण बनाये रखना, सत्रारम्भ में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करवाना, समय—सारणी के अनुसार अध्यापन कार्य को सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रतियोगिताओं , गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय परीक्षाओं को सम्पन्न करवाना, महाविद्यालय में अनुशासन का वातावरण बनाये रखना, कक्षाओं का निरीक्षण करना, महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड एवं वेतन भुगतान सुनिश्चित करवाना।

सह/सहायक आचार्य— समय—सारणी के अनुसार कक्षाओं का अध्यापन कार्य, विभिन्न समितियों में संयोजक एवं सदस्य के रूप में दिये गये उत्तरदायित्वों को समय पर पूरा करना, विश्वविद्यालय परीक्षा को सम्पन्न करवाने में सहयोग करना। इसके अतिरिक्त प्राचार्य द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को सम्पन्न करवाना।

पुस्कालयाध्यक्ष— महाविद्यालय पुस्तकालय एवं वाचनालय का सुव्यवस्थित संचालन करना।

खेल अधिकारी— महाविद्यालय में खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करवाना तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं हेतु टीमें तैयार करके भिजवाना।

सहायक लेखा अधिकारी— महाविद्यालय के लेखा एवं वित्त सम्बधीत कार्यों का निष्पादन करना/करवाना।

कार्यालय अधीक्षक— कार्यालय अधीक्षक कार्यालय सम्बधीत समस्त कार्यों का सुचारू निरीक्षण करना।

प्रयोगशाला सहायक/लेब ब्याव — प्रयोगशालाओं का रखरखाव व प्रायोगिक कक्षाओं में सहयोग प्रदान करना।

वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक — महाविद्यालय के दस्तावेजों, कागजातों का रखरखाव करना उन्हें अपडेट करना प्राचार्य द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक कार्यों में कार्यालयी सहायता प्रदान करना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्पादित करवाये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान सेवा नियम, जी एफ एण्ड आर, भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय लिये जाते हैं।

3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान लेखा एवं वित्त नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश, भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के निर्देश व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार, व संबन्धित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार , महाविद्यालय में गठित विभिन्न समितियों के मध्य

विचार–विमर्श व आम सहमति के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उक्त निर्णयों की अनुपालनार्थ उचित पर्यवेक्षण प्राचार्य द्वारा किया जाता है तथा उत्तरदायित्व सम्बधीत समिति व प्राचार्य का होता है।

4. महाविद्यालय के कृत्यों के निर्वहन के लिए राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान लेखा एवं वित्तीय नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों, भारत सरकार के मानव संसाधन व विकास मंत्रालय एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशों व मार्गदर्शन तथा संबन्धित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था द्वारा मापमान स्थापित किये जाते है।

5. महाविद्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एवं संबन्धित विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जाता है तथा इन्हीं नियमों, विनियमों, अनुदेशो व निर्देशिकाओं का संधारण किया जाता है।

6. महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी रिकॉर्ड, प्रवेशित विद्यार्थियों से सम्बधित रिकॉर्ड, उनके परीक्षा सम्बंधी रिकॉर्ड, महाविद्यालय के लेखा एवं वित्त सम्बन्धी रिकॉर्ड/दस्तावेजों को धारित किया जाता है।

7. इस महाविद्यालय की नीति संरचना या क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए एक रजिस्टर्ड महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, आयुक्तालय द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानीय दो शिक्षाविद् तथा महाविद्यालय द्वारा नियुक्त दो सदस्य, अभिभावक सदस्य एवं महाविद्यालय छात्रसंघ सदस्य है। समिति की समय–समय पर आवश्यक बैठकें आयोजित की जाती है, तथा विकास के विभिन्न मुद्दो पर विचार विमर्श कर आम सहमति से निर्णय लिये जाते हैं। उक्त निर्णयों को महाविद्यालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

8. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., युवा विकास केन्द्र, राजस्थान स्काउट एवं गाईड, योजना मंच, आयकर प्रमाणीकरण समिति, स्वच्छ भारत प्रकोष्ठ, पुस्तकालय समिति, कॉलेज पत्रिका समिति, कम्प्यूटर नोडल अधिकारी, विधानसभा प्रश्न उत्तर समिति, सांख्यिकी उपभोक्ता क्लब, कॉलेज वेब साईट/जीआईएस/एआईएसएचई/रूसा समिति, इनफिलीब नेट, कैट इंचार्ज, कैरियर एण्ड गाइडेन्स एडं प्लेसमेंट सेल महिला उत्पीड़न निवारण समिति, अनुशासन समिति, खेलकूद समिति, साहित्यिक समिति, साँस्कृतिक समिति का गठन किया गया है। उक्त समितियों के क्रिया कलापों की जानकारी महाविद्यालय के विद्यार्थिंयो के लिए सूचना पट्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

9. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।

Please See Contact Us.

10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।

As Per Govt. Rules.

11. बजट ।

12. लागु नहीं।

13. दिव्यांग विद्यार्थियों को महाविद्यालय ट्यूशन फीस, विकास शुल्क एवं परीक्षा में राजस्थान सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा रियायत प्रदान की जाती है।

14. महाविद्यालय वेबसाईट को संधारित किया हुआ है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना प्राप्त की जा सकती है।

15. सूचना प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियों हेतु सूचना पट्ट की व्यवस्था की गई है जिस पर समय–समय पर सूचनायें चस्पा की जाती है महाविद्यालय में आरटीआई सैल का गठन किया हुआ है।

16. लोक सूचना अधिकारी – Dr. Harish Kumar (प्राचार्य)

सहायक लोक सूचना अधिकारी – Dr. Rajesh Kumar

17. महाविद्यालय से संबन्धित सूचनायें समय–समय चस्पा की जाती है तथा उन्हें अद्यतन भी किया जाता है।